हम नफ़रती बयानों के ख़िलाफ़ ख़ामोश नहीं रहेंगे

हम, भारत के लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले, हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच हुए नफ़रती भाषणों और मुसलमानों के नरसंहार के आह्वानों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं। एक समुदाय को क़त्ल करने के यह भाषण और अपीलें हिंदुत्ववादी संगठनों और व्यक्तियों ने की थीं। यह बर्ताव सीधे तौर पर क़ानून और भारतीय संविधान का उल्लंघन है। अपराधियों के ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई करने के बजाय, सार्वजनिक अधिकारियों ने इस घटना पर चुप्पी साधने और इसे नज़रअंदाज़ करने का काम किया है।

सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भारत मे मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर उनसे इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए "दोषियों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएं 120बी, 121ए, 124ए,153ए, 153बी, 295ए और 298 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश देने" की मांग की है। इसी तरह से, हम दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों से इसपर क़ानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वरना मौलिक अधिकारों के साथ एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत के विचार और संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में धर्मनिरपेक्षता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जिस भारत के विचार और अस्तित्व को हम जानते हैं, वह ख़त्म हो जाएगा। नाज़ी जर्मनी में जो हुआ वैसा ही यहाँ हो रहा है: ऐसे निंदनीय भाषणों पर ख़ामोश या निष्क्रिय रहने का मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म में शामिल होने जैसा है।